तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज 2023/11 01/प्रा.प./2023	नम्बर अहकाम की तामील
5-6-24	पत्रावली पेश [illegible] पक्ष [illegible] स्थित हैं। आज श्रीमान [illegible] बाहर दौरे मे [illegible] है। अभिभाषक [illegible] तात्विक कार्यवाही हेतु दिनांक 3-7-24 [illegible] पेश हो।	
03-07-24	पक्षकारान उप। पत्रावली में तहसीलदार बूंदी की रिपोर्ट भिजवाने हेतु स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली दि. 20-09-24 को पेश हो	
20-9-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान [illegible] बाहर दौरे मे [illegible] है। अभिभाषक [illegible] तात्विक कार्यवाही हेतु दिनांक 18-10-24 [illegible] पेश हो।	
1?/10/24	पक्षकारान उप०। वांछित रिपोर्ट तह०, बूंदी प्राप्त हैं। शा०मि० हो। पत्रावली वास्ते बहस दि० 18/10/24 को पेश हो।	
18.10.24	पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 21.10.24 को पेश हो।	
21/10/24	पक्षकारान [illegible] पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। शा०मि० हो। पत्रावली फैसल के में शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:40:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक	पीठासीन अधिकारी
1/प्रा0प0/2023	02.01.2023	21.10.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आरएएस0

1. शिवदत्त शर्मा आत्मज श्री स्वर्गीय मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मंगाल तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. प्रकाश चन्द आत्मज स्वर्गीय मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मंगाल तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री वहीद अहमद।
पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना—पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खैतौनी संख्या नई 98 पुरानी 85 की भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.2153 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 18 रकबा 0.4614 है0 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 277/684 रकबा 0.6921 है0 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 40 रकबा 0.7306 है0 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 5 कुल रकबा 2.1917 है0 वाके ग्राम मंगाल पटवार हल्का मंगाल तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता मदनलाल आत्मज जगन्नाथ के खाते एवं कब्जे काश्त की थी। मदनलाल जी का दिनांक 01.12.2020 को स्वर्गवास हो गया हैं। मदनलाल जी के प्रार्थी के अलावा बेवा लाड़कंवर एवं तीन पुत्रियां भवंरीबाई, रतनबाई एवं राधिका हैं। मदनलाल जी के तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका हैं, जो अपने—अपने ससुराल में निवास कर रही हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में मदनलाल के पिता का नाम धन्ना अंकित कर दिया हैं जो गलत हैं। मदनलाल के पिता का नाम धन्ना नहीं होकर के जगन्नाथ हैं धन्ना तो मदनलाल जी के दादा जी थे। प्रार्थीगण के पिता मदनलाल के पिता अर्थात प्रार्थीगण के दादा का नाम जगन्नाथ के स्थान पर धन्ना अंकित हो जाने से मदनलाल जी के स्वर्गवास के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम फौत नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया हैं। प्रार्थीगण के पिता मदनलाल के पिता नाम आधारकार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं ग्राम मंगाल में ही स्थित अन्य कृषि भूमि में जगन्नाथ अंकित हो रहा हैं। परन्तु वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मदनलाल के पिता का नाम जगन्नाथ के स्थान पर धन्ना अंकित होने [illegible] उक्त भूमि का सही एवं कानूनी रूप से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहे [illegible] नामान्तकरण तस्दीक करवा कर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से कृषि ऋण व अन्य [illegible] प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिये न्यायहित में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में मदनलाल [illegible] धन्ना के स्थान पर मदनलाल आत्मज जगन्नाथ किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, इत्यादि प्रार्थीगण ने अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में दर्ज खातेदार मदनलाल आत्मज धन्ना के स्थान पर इन्द्राज दुरुस्त कर मदनलाल आत्मज जगन्नाथ अंकित करने के आदेश प्रदान करें। इस हेतु अप्रार्थी को निर्देशित करने का भी आदेश प्रदान करें और इन्द्राज दुरुस्त करवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:40:54 IST
Reason: Self Attested

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/4354 दिनांक 01.10.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम मंगाल के खाता संख्या 98 खसरा संख्या 17, 18, 277/664,279, 40 किता 5 रकबा 2.1917 है0 पर मदनलाल आ0 धन्ना कौम ब्राहमण सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त पांचो खसरे वक्त सेटलमेण्ट सिवायचक दर्ज रेकार्ड थे। दिनांक 15.06.1976 को मदनलाल आत्मज धन्नालाल के आवंटन होने के नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 17.09.1977 से गैर खातेदार दर्ज हुए। जो नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 28.05.1989 से खातेदार मदनलाल आ0 धन्नालाल ही दर्ज हैं। वर्तमान में मदनलाल आ0 धन्ना के खातेदारी दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थीगण मदनलाल के पिता का नाम जगन्नाथ करवाना चाहता हैं, जो मुताबिक जांच राजस्व रेकार्ड के धन्ना के स्थान पर जगन्नाथ किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। तहसीलदार, बून्दी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के साथ जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम मंगाल की आराजी खाता संख्या 98 पुराना 85 की जमाबंदी की प्रति, नामान्तकरण संख्या 32 की प्रति, नामान्तकरण संख्या 130 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2028–47 ग्राम मंगाल संलग्न प्रेषित की।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र विषयक भूमि के राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार मदनलाल के पिता नाम सहवन व लिपिकीय त्रूटिवश जगन्नाथ के स्थान पर धन्ना अंकित हो गया हैं, जिससे प्रार्थीगण को काश्तकारी का कार्य करने एवं राजकीय योजनाओं का लाभ लेने गें काफी परेशानियां आ रही हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि जमाबंदी में दर्ज खातेदान प्रार्थी के पिता मदनलाल जी के पिता का नाम धन्ना के स्थान पर जगन्नाथ करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार, बून्दी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के साथ जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम मंगाल की आराजी खाता संख्या 98 पुराना 85 की जमाबंदी की प्रति, नामान्तकरण संख्या 32 की प्रति, नामान्तकरण संख्या 130 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2028–47 ग्राम मंगाल के अवलोकन से जाहिर हैं कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में खातेदार मदनलाल के पिता का नाम धन्ना लिपिकीय त्रूटिवश अंकित नहीं हुआ हैं, अपितु भूमि ही मदनलाल वल्द धन्ना के नाम से आवंटित हुई हैं और इन्ही के नाम आवंटन के बाद भूमि राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी व तत्पश्चात् खातेदारी में दर्ज रेकार्ड की हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी इसी अनुसार प्रविष्टियों का इन्द्राज हो रखा हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे प्रमाणित होता हैं कि खातेदार मदनलाल के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में जगन्नाथ के स्थान पर धन्ना किसी लिपिकीय त्रूटिवश अंकित हो गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का ना होकर स्वामित्व एवं घोषणात्मक प्रकृति का प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:40:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी